न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 2, ब्यावर, जिला अजमेर।

दीवानी वाद सं. 23/2022 सी.आई.एस. नं. 03/2020

राजेन्द्र व अन्य बनाम राजकुमार व अन्य

दिनांक 06.03.2025

वकुलाय फरिकेन उपस्थित।

इस आदेश द्वारा अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दरखास्त दिनांकित 04.09.2024 अंतर्गत धारा 45 भारतीय साक्ष्य अधिनियम व आदेश 8 नियम 1(3) की सपठित धारा 151 का निस्तारण किया जा रहा है।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 04.09.2024 को अंतर्गत धारा 45 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रार्थना पत्र वास्ते इकरारनामा दिनांकित 10.09.2015 को जॉच हेतु सरकारी गर्वनमेंट एग्जामिनर ऑफ क्यूश्चनड डॉक्यूमेंटस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भिजवाने बाबत निवेदन करते हुए प्रस्तुत किया, जिसकी नकल अधिवक्ता वादी को दिलाई गई। अधिवक्ता वादी द्वारा लिखित में जवाब प्रस्तुत न करके मौखिक रूप से बहस की गई व निवेदन किया गया कि पत्रावली पर पूर्व से ही राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट विद्यमान है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है तथा न्यायालय को साक्ष्य संग्रह का माध्यम नहीं बनाया जा सकता। अतः सिविल वाद में पक्षकार को स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। न्यायालय के माध्यम से साक्ष्य एकत्रित नहीं की जा सकती।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने दरखास्त में निवेदन किया है कि इकरारनामा दिनांकित 10.09.2015 कूटरचित व फर्जी हैं तथा वादी ने भी इस पर श्यामसुंदर के फर्जी हस्ताक्षर होना बताते हुए प्रतिवादी राजकुमार के विरूद्ध एफ आई आर नंबर 93/18 दर्ज कराकर अभियोजन चला रखा हैं जिससे स्पष्ट हैं कि पक्षकारान के मध्य कभी कोई इकरारनामा निष्पादित नहीं हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी श्रीमती सुषमा

अग्रवाल को फर्जीवाड़ें की जानकारी मिलते ही उसने 14.01.2019 को एस.पी. अजमेर के समक्ष परिवाद पेश किया था जिसमें अभिकथित किया था कि प्रतिवादी संख्या 1 राजकुमार व स्व. श्यामसुंदर के विरूद्ध इनकी पुश्तैनी जायदाद हड़पने के लिए राजकुमार द्वारा किसी अन्य मुकदमें में उपयोग में लेने हेतु इकरारनामें को सौ रूपये का स्टांप क्रय करके अपने अधिवक्ता अतुल कुमार बंशल को दिया था जिस पर इकरारनामें में झूठी बात अंकन करते हुए वादीगण ने श्यामसुंदर व राजकुमार के विरूद्ध झूठा आपराधिक मुकदमा दर्ज करवा दिया हैं। अतः वादीगण गवाह तथा अधिवक्ता अतुल कुमार बंसल के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करने हेतु और फर्जी इकरारनामें को जब्त करने हेतु निवेदन किया था लेकिन वादीगण ने अनुसंधान अधिकारी व स्टेट फॉरेंसिक साईंस लेबोरेटरी सहायक निदेशक प्रलेख श्री राकेश अग्रवाल से मिलीभगत करके 27.12.2021 को गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करवाई हैं तथा अनुसंधान अधिकारी ने विधि अनुसार अनुसंधान न करके गलत अंतिम प्रतिवेदन अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया है, जिसके संदर्भ में प्रोटेस्ट विचाराधीन हैं जबकि श्रीमती सुषमा अग्रवाल द्वारा श्यामसुंदर के असल हस्ताक्षर युक्त दस्तावेज अनुसंधान अधिकारी को उपलब्ध कराए थे लेकिन अनुसंधान अधिकारी ने इस संदर्भ में उक्त के बाबत अंकन किए जाने से विरत रहते हुए तथा संपूर्ण जायदाद कभी भी प्रतिवादिया के ससुर श्यामसुंदर के हक की नहीं चले आने की वास्तविक एवं भौतिक स्थिति के प्रतिकूल मिथ्या अंकन करकर और कोई जॉच पड़ताल नहीं करके वादी से मिलीभगत करके जायदाद पुराना नंबर 1/372 और नया नंबर 14/247 दुकान नंबर 7, अग्रसेन बाजार, ब्यावर के पुश्तैनी चली आकर उक्त पर गोरधन दास, मदनलाल, लवकुश की दुकान तथा पी डी फतेहपुरिया गोरधन दास, मदनलाल के नामों से दुकान संचालित होने के तथ्यों के क्रम में जानते बुझते विरत रहकर कूटकृत इकरारनामा

बेचान के अवलोकन मात्र से स्पष्ट स्थिति कि उक्त कूटरचित बेचाननामे में किसी प्रकार का कोई अंकन जिससे कि जायदाद श्यामसुंदर व राजकुमार के हक मालिकाना में आए बाबत कोई तथ्य प्रकट होकर गलत और अवैधिक रूप से खाली स्टांप पेपर का दुरूपयोग करके प्रतिकूल षडयंत्रपूर्वक प्रतिवादिया के ससुर को झूठे मुकदमें में फॅसाकर अविधिक तौर पर कूटकृत हस्ताक्षर किए जाने के तथ्य बखूबी प्रमाणित होते हैं, लेकिन अनुसंधान अधिकारी ने वादीगण के आपराधिक कृत्यों को छिपाते हुए मनमाने तौर पर अदम वकू झूठ में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इकरारनामा दिनांकित 10.09.2015 के अवलोकन से उस पर अंकित हस्ताक्षर के स्व. श्यामसुंदर के हस्ताक्षर से कतई मिलान नहीं होने की स्थिति जो कि संलग्न डॉक्टर दिनेश सेठी फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर राजस्थान फोरेंसिक साईंस लेबोरेटरी से प्रमाणित हैं अतः ऐसी स्थिति में इकरारनामा दिनांकित 10.09.2015 को गर्वनमेंट एग्जामिनर ऑफ क्यूश्चनड डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेषित किया जाना आवश्यक और न्यायोचित हैं और यदि कोई शुल्क हो तो उसे प्रतिवादी विहित करने के लिए तैयार व तत्पर हैं।

अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से इकरारनामा दिनांकित 10.09.2015 को जॉच हेतु गर्वनमेंट एग्जामिनर ऑफ क्यूश्चनड डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भिजवाने बाबत् निवेदन किया हैं। इस संदर्भ में अधिवक्ता वादी द्वारा निवेदन किया कि विवादित दस्तावेज के संदर्भ में पूर्व से ही राज्य स्तरीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट रिकॉर्ड पर हैं व मामला सिविल प्रकृति का है। लिहाजा साक्ष्य एकत्रिकरण हेतु न्यायालय को माध्यम नहीं बनाया जा सकता।

उभयपक्ष को सुनने के बाद यह स्थिति सामने आई है कि हस्तगत प्रकरण वादी द्वारा इकरारनामें की विनिर्दिष्ट अनुपालना हेतु प्रस्तुत किया है जिस पर की श्यामसुंदर के

हस्ताक्षर होना बताया गया हैं। वर्तमान में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से उक्त दस्तावेज पेश किए गए स्वीकृत हस्ताक्षरित दस्तावेजों से मिलान किए जाने के उपरांत विवादित हस्ताक्षर श्यामसुंदर के होना ही राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में सामने आया हैं। मामला सिविल प्रकृति का हैं। प्रतिवादी अपने स्तर पर खंडनात्मक साक्ष्य पेश करने हेतु स्वतंत्र हैं तथा जिन दस्तावेजों पर आधारित होते हुए यह रिपोर्ट विशेषज्ञ द्वारा बनाई गई हैं उसके संदर्भ में आवश्यकता होने पर संबंधित विशेषज्ञ को भी परीक्षित किया जा सकता है। चूंकि सिविल मामले होने से दोनों ही पक्षो द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य पर मामले को विनिश्चित किया जाना है। लिहाजा अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दरखास्त संधारण किए जाने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा आदेश 8 नियम 1(3) की सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता में इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया कि वाद आधारित दस्तावेज इकरारनामा दिनांकित 10.09.2015 कूटरचित और फर्जी हैं। वादी द्वारा भी श्यामसुंदर के हस्ताक्षर फर्जी होना बताते हुए प्रतिवादी राजकुमार के विरूद्ध एफ आई आर नंबर 93/18 चला रखा है जो स्पष्ट करता है कि पक्षकारान के मध्य इकरारनामा कभी भी निष्पादित नहीं हुआ और इकरारनामा बिना कंसीडरेशन के फर्जी और कूटरचित हैं। प्रतिवादी की पत्नी द्वारा इस संदर्भ में एस.पी. अजमेर को परिवाद पेश किया हैं लेकिन वादी ने आई. ओ. और एफएसएल के सहायक निदेशक से मिलीभगत करके गलत राय प्रस्तुत करवाई। वादी ने एफ एस एल के सहायक निदेशक राकेश अग्रवाल दिनांकित 27.09.2021 व अंतिम प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति भी न्यायालय में पेश की थी जिसे 21.11.2023 को रिकॉर्ड पर लिया गया हैं तथा प्रतिवादीगण को लिबर्टी दी गई कि वे उक्त दस्तावेज खंडन में नियमानुसार दस्तावेज

पेश करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। प्रतिवादी ने इकरारनामा दिनांकित 10.09.2015 पर श्यामसुंदर के हस्ताक्षरों की जॉच फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर, राजस्थान पुलिस फॉरेंसिक साईस लेबोरेटरी डॉ. दिनेश सेठी से करवाई जिनकी रिपोर्ट के अनुसार फोरेंसिक साईंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट 29.04.2022 से इकरारनामा 10.09.2015 पर अंकित हस्ताक्षर श्यामसुंदर के न्यायालय के आदेशिकाओं पर विद्यमान हस्ताक्षरों से मिलान नहीं होते हैं। अतः डॉक्टर दिनेश सेठी की रिपोर्ट दिनांकित 29.04.2022 तथा इकरारनामें बेचान दिनांकित 10.09.2015 की प्रमाणित प्रतिलिपि जिस पर अंकित हस्ताक्षर श्यामसुंदर मार्क आर वन तथा न्यायालय की आदेशिकाओं पर विद्यमान हस्ताक्षर मार्क बी 1 लगायत बी 19 को रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक हैं जो कि महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। अधिवक्ता वादी द्वारा लिखित में दरखास्त का कोई जवाब न देते हुए निवेदन किया कि राजीव विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट पूर्व से पत्रावली पर विद्यमान हैं तथा उनके द्वारा जो प्रथम सूचन रिपोर्ट दर्ज कराई गई वह श्यामसुंदर द्वारा हस्ताक्षर न होने बाबत् कोई रिपोर्ट नहीं हैं। इसके अतिरिक्त दिनांक 21.11.2023 की न्यायालय आदेशिका की ओर भी ध्यान आकृष्ट करवाया जिसके अनुसार न्यायालय द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तोवजों को रिकॉर्ड पर लेते हुए आदेशित किया हैं कि यदि प्रतिवादी द्वारा खंडन स्वरूप प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज पेश किए जाते है और उक्त दस्तावेज प्रकरण से संबंधित व सुसंगत होते हैं तो उस प्रार्थना पत्र पर सुना जाकर नियमानुसार आदेश पारित किया जा सकेगा।

उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के माध्यम से अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा जिन दस्तावेजों पर आधारित होना चाहा हैं वे उसकी प्रतिरक्षा के दस्तावेज हैं जिनकी विधि मान्यता दौराने साक्ष्य ही तय की जा सकती हैं व सुसंगता व ग्राहयता दो अलग–अलग बिंदु हैं जिनको इस स्तर पर तय किया जाना न्यायोचित नहीं है।

लिहाजा अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दरखास्त इस स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती हैं।

पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात में दिनांक ..... को पेश हो।